कार्यालय प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

पत्रांक- 1360/15-1, पीलीभीत, दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
शाहजहाँपुर।

विषय :- जनपद-पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग (रढैता-पीलीभीत सेक्शन के 731K) कि0मी0 137.250 से कि0मी0 183.380 (पैकेज-IV) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग एवं 26427 बाधक वृक्षों की पातन अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक 1345/15-1 दिनांक 20.10.2021 एवं वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत का पत्रांक 834/14-1 दिनांक 21.10.2021

इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद-पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग (रढैता-पीलीभीत सेक्शन के 731K) कि0मी0 137.250 से कि0मी0 183.380 (पैकेज-IV) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग एवं 26427 बाधक वृक्षों की पातन अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या- FP/UP/ROAD/49626/2020 वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत को प्रेषित किया गया था, परन्तु उन्होने अपने संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि उक्त मार्ग में 26427 बाधक वृक्ष सडक की दोनो पटरियों पर आ रहे है जो एक बहुत बडी संख्या है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से वार्ता कर सडक के एक तरफ की चौडाई को बढ़ाने का प्रस्ताव करे जिससे कि एक तरफ के बाधक वृक्षों का ही पातन होगा तथा दूसरी तरफ के वृक्ष सुरक्षित रहेगे जिससे सडक की हरियाली बनी रहेगी। यादि सडक के दोनों तरफ चौड़ीकरण होता है तो ऐसी स्थिति में सडक वृक्ष विहीन हो जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए संशोधित प्रस्ताव अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

O/C

(संजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,पीलीभीत